कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1779 /FP/UK/ROAD/21524/2016 देहरादूनः दिनांकः 28 जनवरी 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.369 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 81 / 2017 / एफ0सी0 / 1720 दिनांकः–17.01.2018**

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2815 / 12–1–2 दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.738 है0 ग्राम कफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.738 है0 ग्राम कफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 13,20,315.00 RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U000000522974760 दिनांक 05–11–2018 से जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.738 है0 ग्राम कफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर के आदेश संख्या–44 / छब्बीस–वन / 2017–18 दिनांक 17–01–2019 के द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 15,56,433.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में यदि सक्षम स्तर से एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

4	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 15,56,433.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 13,20,315.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 28,76,748.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पचात जहां जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर strip plantation कराये जाने सम्बन्धित वचनबद्धता पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न की जा चुकी है। पुनः वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
6	State Govt. will provide attested copy of part-I & II and original hard copy of Part-IV & V of the proposal.	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में पार्ट–I, II, IV एवं V की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**
7	State Govt. will provide original copy of CA scheme as uploaded in Part-II online.	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन ऑनलाईन पार्ट–II में अपलोड कर दिया गया है।
8	State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at Para-E online Part-I.	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त सूचना ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
9	State Govt. will provide legible and clear hard copy of recommendation letter of DFO at para 16 online in original and upload the same online.	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त सूचना ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1779 /FP/UK/ROAD/21524/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

28/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 2815 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 19/01 /2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– वनभूमि हस्तान्तरण के विभिन्न प्रस्तावों के प्रेषित अनुपालन आख्या के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के वनभूमि हस्तान्तरण के विभिन्न प्रस्ताव जिसमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उन प्रस्तावों की अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यालय के विभिन्न पत्रांको के माध्यम से विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु निम्न प्रकार प्रेषित किये गये थे। (छायाप्रति संलग्न) जिनमें विधिवत स्वीकृत निर्गत नहीं हो पाई है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि इस वन प्रभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रस्तावों की अनुपालन आख्या में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नः– प्रस्तावों की सूची।

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक 1441 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 7 / 11 /2020

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- **जनपद बागेश्वर मे मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.369 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/81/2016/ एफ0सी0 / 1720 दिनांक 17.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति मे प्रेषित की गयी है उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियॉं विधिवत स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक / **दिनांकित।**

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० करें।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 4048
पत्रावली 213
दिनांक 28-1-21

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

प्र० व० अ०/नो० अ०
28-1-21

Nodal adikari

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2556/ 26-व०प्र० दिनांक 24/10/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषयः— **जनपद बागेश्वर में मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.369 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— 8बी0/यू0सी0पी0/06/81/2017/एफ0सी0/1720 दिनांक 17.01.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न— सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

पत्रॉक 2556 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

आदेश

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/संस्तुति के आधार पर जनपद अंतर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 2.369 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 4.738 है0 जो ग्राम काफलीकमेड़ा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–116 के पैमाईशी खेत नम्बर 8409 रकवा 47.975 है0 मध्ये कुल रकवा 4.738 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3)क जंगल फौ0 पं0 के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/xviii(II)2012–18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण,वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/81/2017/एफ0सी0/1720 दिनांक 17.01.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, पंजी. नं. 25 ब, डायरी नं. 160, दिनांक 21-1-19

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या – 44 / छब्बीस – वन /2017–18 दिनांक 17/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

16/01/19
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

18/1/19

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–345/र०का०/वन भू0ह०/2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 2.369 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.738 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्षमें हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 44/छब्बीस– वन/2017–18 दिनांक 17/01/19 के अनुपालन में ग्राम काफलीकमेड़ा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 116 के पैमायशी खेत नं० 8409 रकवा 47.975 है० मध्ये कुल रकवा 4.738 है० श्रेणी 9(3) क जंगल फौ० पं० के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–

(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

उद्धरण खतौनी ग्रा० स० वि०

ग्राम - काफलीकमेड़ा

रा०उ०नि० क्षे० कर्मी   तह० - कपकोट

श्रेणी-६(३)क- ऐसे वन जिनका वर्गीकरण या प्रबन्धन किसी वन सम्बन्धी विधान द्वारा किया गया है

खाता सं०	नाम खातेदार	खेत संख्या	रकबा	विवरण
११६	जंगल	५०६१	१४२	कौ० प० पुरा… 226 से
		६६५६	३८	
		६६६८	८३	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्या…
		६६७२	५५८	संख्या 45/हस्तान्तरण वन/2017-18 दि० 17/01/…
		६६७६	२	के शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)2012-1
		६६७८	१०	(120) 2012 दि० 17 दिसम्बर 2012 तथा पर्या…
		६६८०	२२१	वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत स…
		६६८२	।।।	उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-08 बी/
		६६८३	।।।	यू० सी० पी०/06/81/2017/एफ० सी०/172
		६६८४	।	दि० 17-01-2018 में दी गयी शर्तों के
		६६८५	।।	अधीन ग्राम काफलीकमेड़ा के ग्रा० …
		क्रमशः	क्रमशः	एफ० खा० सं०-116 के बेनाप खेत नम्बर
		६७३१	२०६	8409 रकबा 47.975 हे० मध्ये कुल …
		६७५२	१२	4.738 हे० भूमि जो श्रेणी 6(3)क …
		६७५४	३४	कौ० प० के रूप में दर्ज भूमि को जन…
		६७५५	३६	अन्तर्गत सनकोट मोटर मार्ग से बदेत …
		८४०१	४५८	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त …
		८४०६	२३६८	भूमि 2.369 हे० की दुगुनी अर्थात …
		१०३५१	६८१	4.738 हे० भूमि को वन विभाग के पक्ष
		१०३१०	६	में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जाता …
योग		५३	५४२	

(हस्ताक्षर) रा०उ०नि०

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P W.D Bageshwar

महोदय, उद्धरण खतौनी तैयार की
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र कर्मी
तह० कपकोट

प्रतिहस्ताक्षरित,

तहसीलदार
तहसील कपकोट

(4)

1408-CCL/PWD

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC8900180811180004 Date :02-NOV-18

'	:	1808	**Division Name**	:	Provincial Division P.W.D.
).	:	PAC	**Scheme**	:	5054043370304 NV
	:	XXXXX1234C	**Name**	:	Uttaranchal campa
t Type	:	Final Bill	**Project Name**	:	N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTED AMT : 141321305 EXPENDITURE AMT : 97864640 REMAINING AMT : 43456665

/STO

Jttaranchal campa
ınk IFSC Code CORP0000371 Account No.150896121524442 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	2876748
	GST TDS (CPIN :)	0
	Total Payment	2876748

words : (Rs. Twenty-Eight Lac Seventy-Six Thousand Seven Hundred Forty-Eight Only.)

n above is checked by me personally and is correct,

Signature with Seal

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

Signature with Seal

Executive Engineer PD PWDBageswar

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

For Treasury Use

ID :CC8900180811180004 Date :02-NOV

e. / /

ɔunt Rs. : 2876748.00

Payment Id :

ords : (Rs. Twenty-Eight Lac Seventy-Six Thousand Seven Hundred Forty-Eight Only.)

ıt Rs. : 2876748.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

2.156 ई० जनपद बागेश्वर मे सनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग का निर्माण,

Passed for Rs 28,76,748

Head of Account Form No. 28-HAND RECEIPT
(See Chap XIP, Para 440, 446 and 460)

AE

Cash Book Voucher No. 3 Date 5/11/018 20

(1) Paid by Cheque/Cash/Rupees (28,76,748/-) to Sri. UTTRANCHAL CAMPA

(2)Paid by Me..

RECEIVED for the. E.E. P.D. P.W.D. in charge of Bageshwar.

Sub-Divison... U ...............AE......I..............Division the sum. of

Rs. 28,76,748/-.......................Name of work * or purpose of

which payment is made पत्र संख्या 564/22 बबद (एन०पी०वी०)/

दि० 18/09/2018 का सलंग्नक

(Amount in Vernaculer)

Corrector Sign for Rs. 28,76,748/-

PAID VIDE CHEQUE

2/11/018

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

Date.....................20

Withses

Signature of Payees

U.T.R. NO- U000000522974760

Dtd. 05.11.2018

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121524442
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/81/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	2876748/-

Amount in Words :Twenty-Eight Lakh Seventy-Six Thousand Seven Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896121524442 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121524442
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/81/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	2876748/-

Amount in Words :Twenty-Eight Lakh Seventy-Six Thousand Seven Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896121524442 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Photo Copy Attested
23/11/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 81 / 2017 / एफ0सी0 / 1720

दिनांक: 17 / 01 / 2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद -- बागेश्वर में मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.369 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 743/X-4-17/1(94)/2017 दिनांक 10.11.2017

महादय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/21524/2016 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-- बागेश्वर में मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.369 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.738 है0 ग्राम–कफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate** किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide attested copy of Part I & II and original hard copy of Part IV & V of the proposal.
7. State Govt. will provide original hard copy of CA scheme as uploaded in Part --II online.
8. State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E online Part-I.
9. State Govt. will provide legible and clear hard copy of recommendation letter of DFO at para 16 online in original and upload the same online.

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

प्रपत्र— 46

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

——प्राक्कलन संलग्न हैं——

वन क्षेत्र अधिकारी	उपप्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी
	बागेश्वर	बागेश्वर

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

नोट— उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

2.37

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

21524 मनकोट से बसेत

द्वारा विशेष वाहक

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर

Phone/Fax.No:- 05963-220006

Email ID:-pdpwdbgr@yahoo.in

पत्रांक 2532 / 2ई0व0भू0 दिनांक 5 / 11 / 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में विभिन्न मोटर मार्गों में प्रभावित होनी वाली वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ– On line upload proposal No. FP/UK/ROAD/21524/2016 Dtd. 21.09.2016 ✓ मनकोट
On line upload proposal No. FP/UK/ROAD/21509/2016 Dtd.21.09.2016 ✓ → कन्धार
On line upload proposal No. FP/UK/ROAD/21048/2016 Dtd. 22.08.2016 / सोंग

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त मोटर मार्गों की वन भूमि प्रस्ताव दिनांक 22.08.2016, 21.09.2016 एवं 21.09.2016 को Upload कर दिया गया है। अपलोक किये गये प्रस्तावों की एक–एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को दिनांक 05.11.2016 को प्राप्त कर दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी की प्राप्ति रसीद एवं प्रस्ताव की हस्ताक्षरित प्रति सी0डी0 सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि प्रस्ताव पर भारत सरकार से सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न– प्रस्ताव तीन प्रति सी0डी0 सहित।

भवदीय,

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 विभाग,
बागेश्वर।

पृ0सं0 / 2ई0व0भू0 उक्त दिनांक

1– प्रतिलिपि वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत्त, अल्मोड़ा को Upload किये गये प्रस्ताव की प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– जिला अधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

3– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 विभाग,
बागेश्वर।

प्राप्त
9 / 11 / 2016
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Photo Copy Attested
23/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर

पत्रांक 2075/ 2ई.व.भू. दिनांक 31 /07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.369 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4805/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 06.06.2023

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके कार्यालय पत्र सं0 1441/12–1–2 बागे0 दि0 07.11.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 8,24,909.00 की मॉग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN423270685041 dtd 27.09.2023 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

डिस्पैच
प्राप्त 02/8/2024
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

भवदीय,
31/07/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

फोन/फैक्स नं0—05963—220006

E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

PWD Uttarakhand

पत्रांक 3832/कैश

सेवा में,

दिनांक 27/09/2023

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि का उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर में मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (3.80 किमी0) हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0— 639461 दिनांक 18.09.2023 ₹ 824909.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0— 150896121524028 IFSC Code-UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :— बैकर्स चैक सं0—639461 दिनांक 18.09.2023 ₹ 824909.00 मात्र मूल में।

SBIN423270685041

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

पत्रांक :— /कैश, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेष्वर।

Q-154

Voucher BGL

27 SEP 2023

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर शाखा-(01693)
PF ID: 1002482
Posted By
27 SEP 2023
Chked. By
Name: MANISHA TIWARI
Signature:

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

C/o Manilcite Motor Road to Barsels

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121524028
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/81/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	824909/-

Amount in Words :Eight Lakh Twenty-Four Thousand Nine Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896121524028 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121524028
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/81/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	824909/-

Amount in Words :Eight Lakh Twenty-Four Thousand Nine Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896121524028 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

SBIN423270685041
Dt 27.9.2023

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

(1)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963--220249 फैक्स नं0 05963--220209

पत्रांक 4805/ 124-2 बागेश्वर, दिनांक : 06/06/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – **जनपद बागेश्वर में मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर के निर्माण हेतु 2.369 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5--3/2011--FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा--निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 17.01.2018 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	2.369 है0	5	0.2	1005210.00	23,81,342.00	15,56,433.00	8,24,909.00
	कुल योग					**23,81,342.00**	**15,56,433.00**	**8,24,909.00**

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"